न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेवड बनाम मोतीलाल व अन्य किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मुकदमा संख्या 30/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.2022	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 व 2 उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि प्रार्थी ने दिनांक 25.4.2022 को वाद पत्र तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में प्रस्तुत किया है। जिसमे प्रतिवादीगण की तलवी में तारीख पेशी दिनांक 24.5.2022 नियत थी। प्रकरण के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में न्यायालय ने मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत रखने के अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी कर रखे है। दिनांक 11.5.2022 को प्रतिवादी मोतीलाल पुत्र लिछमन जाति माली निवासी बाढ बिशनपुरा द्वारा शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 12.5.2022 को सुनवाई हेतु पत्रावली नियत कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय मे वाद तकास्मा विचाराधीन है। जिसके निस्तारण से पूर्व प्रश्नगत भूमि के बेचान व राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन न हो इस स्थिति को मध्यनजर रखते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश किये गये है, किन्तु प्रतिवादी मोतीलाल राजनैतिक पहुँच वाला व्यक्ति होने एवं उप जिला कलक्टर बांदीकुई पर दबाव बनाकर प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णय पारित कराने पर आमादा है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी सं.1 व 2 द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश जारी किये गये है। अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अप्रार्थीगण को अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखे जाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिये अपना पक्ष प्रस्तुत करने बाबत शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने एवं अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में पेश किया गया है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र का शीघ्र निस्तारण हेतु अप्रार्थीगण द्वारा शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र भी इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु यदि पत्रावली किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित की जाती है तो भी अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई द्वारा प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रक्रिया में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। साथ ही उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में एकतरफा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश जारी किये गये है। अप्रार्थीगण द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु तारीख पेशी नियत की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रिया में विधिक त्रुटि कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को स्वीकार करने के सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई औचित्यपूर्ण तथ्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रार्थी का उद्देश्य मात्र प्रकरण के निस्तारण में देरी किया जाना प्रतीत होता है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में विचाराधीन मुकदमा संख्या 117/2022 वादपत्र तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 91/2022 उनवानी रेवड़ बनाम मोतीलाल वगैरा को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु प्रार्थी रेवड़ पुत्र लिछमन जाति माली निवासी बाढ बिशनपुरा, कोलाना तहसील बसवा जिला दौसा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 06.6.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official